प्रश्न सं. [क. 2832]

मुकेश नायक
विधायक
विधान सभा क्षेत्र क्र. 58, पवई
जिला - पन्ना (म.प्र.)

मुकेश-शशि
E-8, Ext., वायस ... के लेन,
ओपल एवेन्यू के प ... भोपाल,
मो. 9425018542, ... 9303171
e-mail : panditmnay... mail.com
mlapawa58... ail.com

क्र.MLA/123/16 अतारांकित-2832 दिनांक.1... 1/2016

प्रति,

प्रमुख सचिव
स्कूल शिक्षा विभाग
मध्यप्रदेश शासन, भोपाल (म.प्र.)

विषय :– हाईस्कूल से हायर सेकेन्ड्री में उन्नयन के संबंध में।

संदर्भ :– मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक 1781/1678/2013/20–3 भोपाल, दिनांक 19.09.2013

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग में पत्र क्रमां 1781/1678/2013/20–3 दिनांक 19.09.2015 अनुसार हाईस्कूल कुंवरपुर को हा सेकेन्ड्री में उन्नयन कर मान्यता हेतु पत्र संस्था को प्राप्त हुआ था संस्था द्वारा 2014–20 में मान्यता हेतु चालान के माध्यम से 17500 शुल्क जमा करने के पश्चात कार्याल संभागीय अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मंडल सागर के पत्र क्रमांक 1452/मान्यता/20 सागर दिनांक 17.12.2013 द्वारा हायर सेकेन्ड्री स्कूल संचालित करने हेतु मान्यता प्रदान क गई थी। किन्तु आज दिनांक तक हायर सेकेन्ड्री संचालित करने हेतु आदेश प्राप्त नही हु है।

अतः आपसे आग्रह है कि बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुये शा. हाईस्कूल कुंवरपुर जिला पन्ना को हायर सेकेन्ड्री संचालित करने संबंधी आदेश जारी करने का कष्ट करें।

(मुकेश नायक)

प्रतिलिपि :–

1. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल मध्यप्रदेश

(मुकेश नायक)

ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने के लिए नये मापदण्ड

(क) **हाई स्कूल**

अनिवार्यता

1. **बसाहट** से **5** कि.मी. की परिधि में हाई स्कूल की सुविधा न होना ।
2. पोषक माध्यमिक शालाओं की कक्षा 8 वीं में छात्रों की दर्ज संख्या 70 से कम न होना ।
3. उन्नत की जाने वाली शाला में कक्षा 8 वीं में नामांकन न्यूनतम 30 होना ।

प्राथमिकता

1. स्कूल के लिए न्यूनतम 2 एकड़ जमीन होना । यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है ।
2. रूपये 10 लाख जन सहयोग उपलब्ध होने पर संबंधित स्थान को प्राथमिकता देना । (इस राशि में विधायक निधि/सांसद निधि से प्राप्त राशि भी शामिल होगी तथा यह राशि अधोसंरचना विकास पर व्यय की जाएगी ।)

(ख) **हायर सेकेण्डरी स्कूल के मापदण्ड**

अनिवार्यता

1. बसाहट से 8 कि.मी. की परिधि में हायर सेकेण्डरी स्कूल की सुविधा न होना ।
2. पोषक हाई स्कूल की कक्षा 10 वीं में छात्रों की दर्ज संख्या 100 से कम न होना।
3. उन्नत की जाने वाली शाला में कक्षा 10 वीं में नामांकन न्यूनतम 30 होना ।

प्राथमिकता

1. स्कूल के लिए न्यूनतम 2 एकड़ जमीन होना । यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है।
2. रूपये 15 लाख जन सहयोग उपलब्ध होने पर संबंधित स्थान को प्राथमिकता देना । (इस राशि में विधायक निधि/सांसद निधि से प्राप्त राशि भी शामिल होगी तथा यह राशि अधोसंरचना विकास पर व्यय की जाएगी ।)

टीप/– किसी शर्त विशेष को विशेष परिस्थितियों में शिथिल करने का अधिकार विभाग को होगा ।

13/8/18

उप सचिव,
म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
शाखा 2

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 44–30/20–2/2017 भोपाल, दिनांक 13/2/2018

प्रति,

आयुक्त,
लोक शिक्षण
म0प्र0 भोपाल ।

विषयः–प्रदेश में नये स्कूल खोलने /उन्नयन करने संबंधी मापदण्ड निर्धारण बावत ।

–0–

विभागीय आदेश कमांक एफ 44–12/20–2/2006 दिनॉक 25.08.2006 को अधिकमित करते हुये मंत्रि–परिषद के निर्णय दिनॉक 03 जनवरी 2018 के अनुकम मे ग्रामीण क्षेत्रों में नये हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने/उन्नयन किये जाने हेतु मापदण्ड संलग्न अनुसार निर्धारित किये जाते है।

संलग्न–परिशिष्ट एक

13/2/18
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ. कमांक एफ 44–30/20–2/2018 भोपाल, दिनांक 13-2-2018
प्रतिलिपिः–

1– निज सचिव मान.मंत्री/राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन।
2– प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल ।
3– अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, भोपाल ।
4– प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग भोपाल।

13/2/18
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
शाखा-2